of the project to the State Government of Andhra Pradesh and what is the role of the Polavaram Project Authority, which comes under the Government of India, when the whole execution is to be done by the Government of Andhra Pradesh?

डा. संजीव कुमार बालियानः माननीय सभापति महोदय, एक तो आन्ध्र प्रदेश सरकार फेल नहीं है। मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी को बताना चाहूंगा कि 2014 से पहले, जब से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मात्र 500, कुछ करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को दिए गए थे। रिवाइज्ड एस्टिमेट की सूची आन्ध्र प्रदेश सरकार बना रही है, जल्दी आ जाएंगे। काम की गति में कहीं कोई कमी नहीं है। एग्जिक्यूशन का काम नीति आयोग के फैसले से प्रदेश सरकार को इसलिए दिया गया, ताकि इफेक्टिव एग्जिक्यूशन इस काम को प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कर सके। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, शायद यह पहला प्रोजैक्ट होगा, जिस पर मुख्य मंत्री जी हर हफ्ते जाकर व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट ले रहे हैं।

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, my question was different. Under the Act, when the Government of India has the responsibility to execute the project, why has the Government of India transferred its authority to the State Government?

डा. संजीव कुमार बालियानः मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं, चूंकि यह प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है ...**(व्यवधान)**...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: How can you do it without amending the Act? *...(Interruptions)...*

डा. संजीव कुमार बालियानः और सुनिए, effective implementation और जल्दी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए on behalf of Government of India, आन्ध्र प्रदेश सरकार को प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने की जिम्मेदारी नीति आयोग के फैसले के द्वारा गई थी।

श्री सभापतिः वे जो सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। Does the Act require any amendment? That is all.

DR. SANJEEV KUMAR BALYAN: No, the Act does not require an amendment, as far as my knowledge is concerned. *...(Interruptions)...*

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, this is a project under the Act. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: I suggest, if the answer is inadequate, you go as per the procedures. *...(Interruptions)...* Let me now go to Question No. 79. *...(Interruptions)...* Question No. 79.

पेयजल की आपूर्ति

*79. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :** क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र सहित देश में पेयजल के संबंध में पूर्ण रूप से सम्मिलित किए गए, आंशिक रूप से सम्मिलित किए गए और पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पेयजल योजनाओं के अंतर्गत जारी और प्रयुक्त की गई धनराशि का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पेयजल योजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई सूचना के अनुसार ग्रामीण आबादी को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में महाराष्ट्र सहित देश में पूर्ण रूप से कवर, आंशिक रूप से कवर और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का राज्य-वार विवरण उपाबंध-I में दिया गया है (नीचे ***देखिए***)।

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के करवेज हेतु रिलीज़ की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार विवरण उपाबंध-II में दिया गया है (नीचे ***देखिए***)।

(ग) ग्रामीण आबादी को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना एक गतिशील और जारी प्रक्रिया है। एनआरडीडब्ल्यूपी की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों, सम्मेलनों और वीडियो कॉन्फ्रेंसों में निगरानी की जाती है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य मंत्रियों और राज्य सरकारों के विभागीय सचिवों के साथ पिछली राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक 22 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थी। राज्यों के कार्य निष्पादन की समीक्षा वार्षिक कार्य योजना बैठक (एएपी) में भी की जाती है जो प्रति वर्ष मंत्रालय द्वारा फरवरी/मार्च के दौरान आयोजित की जाती है। पिछली समीक्षा बैठक में राज्यों से आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) ग्राम पंचायतों और खुले में शौच मुक्त घोषित गांवों पर विशेष ध्यान देते हुए जारी स्कीमों को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा गया है। निरन्तर रूप से की जा रही समीक्षाओं और निगरानी के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक 18,737 बहुल ग्राम स्कीमें (एमवीएस) और 4,68,718 एकल ग्राम स्कीमें (एसवीएस) कमीशन की गई हैं जैसा किं मत्रालय के वेब पोर्टल पर राज्यों द्वारा सूचित किया गया है। राज्य-वार विवरण उपाबंध-III में दिया गया है।

उपाबंध-I

दिनांक 19.07.2017 की स्थिति के अनुसार पेयजल आपूर्ति से संबंधित ग्रामीण बसावट की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	बसावटों की कुल संख्या	पूर्णत: कवर बसावटों की संख्या	आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या	गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	400	324	76	0
2.	आंध्र प्रदेश	48363	33039	14902	422
3.	अरुणाचल प्रदेश	7577	2914	4632	31
4.	असम	88099	52741	24312	11046
5.	बिहार	110234	67326	38669	4239
6.	छत्तीसगढ़	74685	70462	3045	1178
7.	गोवा	347	345	2	0
8.	गुजरात	36066	36062	4	0
9.	हरियाणा	7948	7596	224	128
10.	हिमाचल प्रदेश	53604	42529	11075	0
11.	जम्मू और कश्मीर	15958	8930	7011	17
12.	झारखंड	120764	116791	898	3075
13.	कर्नाटक	60248	19877	39106	1265
14.	केरल	21551	4894	16293	364
15.	मध्य प्रदेश	128061	127772	99	190
16.	महाराष्ट्र	99732	86938	12503	291
17.	मणिपुर	3788	2227	1561	0
18.	मेघालय	10475	1755	8688	32
19.	मिजोरम	738	467	271	0
20.	नागालैण्ड	1530	699	788	43
21.	ओडिशा	157773	138498	16199	3076

1	2	3	4	5	6
22.	पुडुचेरी	266	153	113	0
23.	पंजाब	15384	9872	1791	3721
24.	राजस्थान	121648	54189	46891	20568
25.	सिक्किम	2084	737	1347	0
26.	तमिलनाडु	100204	92737	7269	198
27.	तेलंगाना	24562	13463	9715	1384
28.	त्रिपुरा	8723	4535	1613	2575
29.	उत्तर प्रदेश	260027	256302	2346	1379
30.	उत्तराखंड	39360	21992	17352	16
31.	पश्चिमी बंगाल	105905	50098	36497	19310
	कुल	1726104	1326264	325292	74548

अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्य-वार रिलीज़

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18 (as on 17.07.2017)	
		रिलीज़	राज्य द्वारा उपयोग	रिलीज़	राज्य द्वारा उपयोग	रिलीज़	राज्य द्वारा उपयोग	रिलीज़	राज्य द्वारा उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.81	0.43	0.16	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	377.78	427.08	170.05	190.60	204.00	157.38	32.93	58.17
3.	अरुणाचल प्रदेश	109.83	119.50	65.40	66.23	110.84	90.68	11.27	0.00
4.	असम	585.32	586.88	284.11	216.20	348.06	206.61	24.11	0.00
5.	बिहार	399.11	381.90	202.73	295.38	373.81	473.29	84.91	10.93
6.	छत्तीसगढ़	150.74	173.08	60.83	64.64	84.28	65.66	9.13	8.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गोवा	0.00	0.00	1.66	0.00	1.19	3.35	0.00	0.00
8.	गुजरात	405.58	491.44	238.91	274.78	278.50	265.16	107.06	0.00
9.	हरियाणा	277.98	228.82	122.65	150.74	111.53	116.42	22.83	0.62
10.	हिमाचल प्रदेश	120.89	120.18	64.38	69.88	83.31	66.04	0.00	17.56
11.	जम्मू और कश्मीर	474.41	458.03	192.12	222.16	225.14	219.94	87.74	0.00
12.	झारखंड	175.18	206.88	132.09	133.70	131.74	157.89	39.95	44.71
13.	कर्नाटक	563.91	622.37	278.08	366.68	343.72	341.33	90.08	0.00
14.	केरल	124.10	131.86	48.05	64.45	75.22	74.21	24.38	0.00
15.	मध्य प्रदेश	440.18	399.94	193.73	387.62	232.26	212.50	86.71	17.99
16.	महाराष्ट्र	748.23	901.96	330.88	584.00	404.45	412.32	40.68	15.00
17.	मणिपुर	88.54	92.25	27.92	43.44	40.61	18.87	0.00	0.00
18.	मेघालय	69.50	81.02	31.24	30.92	40.42	49.29	20.06	0.09
19.	मिजोरम	34.50	39.81	17.32	23.16	24.49	24.82	0.00	0.00
20.	नागालैण्ड	101.44	86.45	38.53	61.90	36.84	40.20	12.81	0.00
21.	ओडिशा	230.67	272.83	103.19	165.25	134.96	100.59	0.81	21.72
22.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	97.38	90.23	42.79	36.57	51.89	53.56	1.23	4.57
24.	राजस्थान	1304.64	1386.79	526.75	480.21	1072.92	681.21	135.08	15.56
25.	सिक्किम	31.70	32.03	12.05	12.49	19.42	16.51	2.91	0.00
26.	तमिलनाडु	382.46	432.39	182.35	164.85	174.68	188.98	56.67	14.93
27.	तेलंगाना	212.24	189.25	97.71	106.42	133.09	111.89	192.23	33.01
28.	त्रिपुरा	68.31	64.81	31.68	39.97	43.73	38.73	13.69	2.01
29.	उत्तर प्रदेश	1073.22	1146.18	490.31	690.46	621.95	639.54	3.77	0.00
30.	उत्तराखंड	111.48	138.05	60.06	99.79	88.19	99.95	7.43	2.30
31.	पश्चिमी बंगाल	431.09	480.72	216.85	288.75	440.15	444.86	61.97	15.45
	कुल	9191.22	9783.16	4264.58	5331.24	5931.90	5371.78	1170.44	283.45

उपाबंध-III

वर्ष 2009-2010 से 2016-17 तक पूरी की गई बहुल ग्राम स्कीमों और एकल ग्राम स्कीमों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक पूरी की गई नल जल आपूर्ति योजनाओं की संख्या	
		बहुज ग्राम योजना (एमवीएस)	एकल ग्राम योजना (एसवीएस)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	3
2.	आंध्र प्रदेश	387	30019
3.	अरुणाचल प्रदेश	147	5581
4.	असम	1744	3199
5.	बिहार	201	1945
6.	छत्तीसगढ़	192	31167
7.	गोवा	0	1
8.	गुजरात	440	22223
9.	हरियाणा	943	4960
10.	हिमाचल प्रदेश	2675	2451
11.	जम्मू और कश्मीर	1091	1567
12.	झारखंड	283	10798
13.	कर्नाटक	1491	183884
14.	केरल	132	302
15.	मध्य प्रदेश	130	13650
16.	महाराष्ट्र	1491	32175
17.	मणिपुर	226	1663
18.	मेघालय	322	2583
19.	मिजोरम	52	434
20.	नागालैण्ड	28	2866
21.	ओडिशा	1400	14953

1.	2	3	4
22.	पुडुचेरी	3	1
23.	पंजाब	604	2276
24.	राजस्थान	1819	12630
25.	सिक्किम	17	1787
26.	तमिलनाडु	700	50753
27.	तेलंगाना	328	23859
28.	त्रिपुरा	399	4651
29.	उत्तर प्रदेश	433	3145
30.	उत्तराखंड	537	2914
31.	पश्चिमी बंगाल	519	278
	कुल	18737	468718

Supply of drinking water

†*79.SHRI SURENDRA SINGH NAGAR: Will the Minister of DRINKING WATER AND SANITATION be pleased to state:

(a) the details of fully covered, partially covered and quality affected regions in the country including Maharashtra regarding drinking water, State-wise;

(b) the details of funds released and utilised for drinking water projects during each of the last three years and the current year, State-wise; and

(c) whether Government has reviewed the implementation of schemes for drinking water and if so, the details and outcome thereof, State-wise?

THE MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Under National Rural Drinking Water Programme (NRDWP), as per information provided by States on the online Integrated Management Information System (IMIS) of the Ministry, the State-wise details of fully covered, partially covered and

† Original notice of the question was received in Hindi.

quality affected habitations in the country including Maharashtra with regard to coverage of rural population with drinking water supply are given in the Annexure-I (*See* below).

(b) The State-wise details of funds released and utilised for coverage of rural drinking water supply during each of the last three years and the current year are given in the Annexure-II (*See* below)

(c) Providing drinking water supply to the rural population is a dynamic and continuous process. The physical and financial progress of NRDWP is monitored in National /Regional /State level review meetings, conferences and video-conferences. The last National Level Review Meeting with State Ministers and Secretaries of Departments of State Governments for Rural Drinking Water Supply was held on 22nd March, 2017. Performance of States is also reviewed during Annual Action Plan (AAP) meeting held during February/March by the Ministry every year. In the last review meeting, States have been asked to focus on completion of ongoing schemes with special focus on Arsenic/ Fluoride affected habitations, Sansad Adarsh Gram Yojna (SAGY) Gram Panchayats and Open Defecation Free declared villages. As a result of continuous reviews and monitoring, 18,737 number of Multi-Village Schemes (MVS) and 4,68,718 number of Single-Village Schemes (SVS) have been commissioned from 2009-10 to 2016-17 in various States as reported by them in the web-portal of the Ministry. The State-wise details is given in the Annexure-III.

Annexure-I

Status of rural habitation with respect to drinking water supply as on 19.07.2017

Sl. No.	State	Total No. of Habitations	No. of Fully Covered Habitations	No. of Partially Covered Habitations	No. of Quality Affected Habitations
1	2	3	4	5	6
1.	Andaman and Nicobar Islands	400	324	76	0
2.	Andhra Pradesh	48363	33039	14902	422
3.	Arunachal Pradesh	7577	2914	4632	31
4.	Assam	88099	52741	24312	11046

1	2	3	4	5	6
5.	Bihar	110234	67326	38669	4239
6.	Chhattisgarh	74685	70462	3045	1178
7.	Goa	347	345	2	0
8.	Gujarat	36066	36062	4	0
9.	Haryana	7948	7596	224	128
10.	Himachal Pradesh	53604	42529	11075	0
11.	Jammu and Kashmir	15958	8930	7011	17
12.	Jharkhand	120764	116791	898	3075
13.	Karnataka	60248	19877	39106	1265
14.	Kerala	21551	4894	16293	364
15.	Madhya Pradesh	128061	127772	99	190
16.	Maharashtra	99732	86938	12503	291
17.	Manipur	3788	2227	1561	0
18.	Meghalaya	10475	1755	8688	32
19.	Mizoram	738	467	271	0
20.	Nagaland	1530	699	788	43
21.	Odisha	157773	138498	16199	3076
22.	Puducherry	266	153	113	0
23.	Punjab	15384	9872	1791	3721
24.	Rajasthan	121648	54189	46891	20568
25.	Sikkim	2084	737	1347	0
26.	Tamil Nadu	100204	92737	7269	198
27.	Telangana	24562	13463	9715	1384
28.	Tripura	8723	4535	1613	2575
29.	Uttar Pradesh	260027	256302	2346	1379

1	2	3	4	5	6
30.	Uttarakhand	39360	21992	17352	16
31.	West Bengal	105905	50098	36497	19310
	Total	1726104	1326264	325292	74548

Annexure-II

State-wise releases under NRDWP for the last three years and current year

(₹ in crore)

S. No.	State	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18 (as on 17.07.2017)	
		Release	Utilization by State	Release	Utilization by State	Release	Utilization by State	Release	Utilization by State
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Andaman and Nicobar Islands	0.81	0.43	0.16	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2.	Andhra Pradesh	377.78	427.08	170.05	190.60	204.00	157.38	32.93	58.17
3.	Arunachal Pradesh	109.83	119.50	65.40	66.23	110.84	90.68	11.27	0.00
4.	Assam	585.32	586.88	284.11	216.20	348.06	206.61	24.11	0.00
5.	Bihar	399.11	381.90	202.73	295.38	373.81	473.29	84.91	10.93
6.	Chhattisgarh	150.74	173.08	60.83	64.64	84.28	65.66	9.13	8.83
7.	Goa	0.00	0.00	1.66	0.00	1.19	3.35	0.00	0.00
8.	Gujarat	405.58	491.44	238.91	274.78	278.50	265.16	107.06	0.00
9.	Haryana	277.98	228.82	122.65	150.74	111.53	116.42	22.83	0.62
10.	Himachal Pradesh	120.89	120.18	64.38	69.88	83.31	66.04	0.00	17.56
11.	Jammu and Kashmir	474.41	458.03	192.12	222.16	225.14	219.94	87.74	0.00
12.	Jharkhand	175.18	206.88	132.09	133.70	131.74	157.89	39.95	44.7 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Karnataka	563.91	622.37	278.08	366.68	343.72	341.33	90.08	0.00
14.	Kerala	124.10	131.86	48.05	64.45	75.22	74.21	24.38	0.00
15.	Madhya Pradesh	440.18	399.94	193.73	387.62	232.26	212.50	86.71	17.99
16.	Maharashtra	748.23	901.96	330.88	584.00	404.45	412.32	40.68	15.00
17.	Manipur	88.54	92.25	27.92	43.44	40.61	18.87	0.00	0.00
18.	Meghalaya	69.50	81.02	31.24	30.92	40.42	49.29	20.06	0.09
19.	Mizoram	34.50	39.81	17.32	23.16	24.49	24.82	0.00	0.00
20.	Nagaland	101.44	86.45	38.53	61.90	36.84	40.20	12.81	0.00
21.	Odisha	230.67	272.83	103.19	165.25	134.96	100.59	0.81	21.72
22.	Puducherry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
23.	Punjab	97.38	90.23	42.79	36.57	51.89	53.56	1.23	4.57
24.	Rajasthan	1304.64	1386.79	526.75	480.21	1072.92	681.21	135.08	15.56
25.	Sikkim	31.70	32.03	12.05	12.49	19.42	16.51	2.91	0.00
26.	Tamil Nadu	382.46	432.39	182.35	164.85	174.68	188.98	56.67	14.93
27.	Telangana	212.24	189.25	97.71	106.42	133.09	111.89	192.23	33.01
28.	Tripura	68.31	64.81	31.68	39.97	43.73	38.73	13.69	2.01
29.	Uttar Pradesh	1073.22	1146.18	490.31	690.46	621.95	639.54	3.77	0.00
30.	Uttarakhand	111.48	138.05	60.06	99.79	88.19	99.95	7.43	2.30
31.	West Bengal	431.09	480.72	216.85	288.75	440.15	444.86	61.97	15.45
	TOTAL	9191.22	9783.16	4264.58	5331.24	5931.90	5371.78	1170.44	283.45

Annexure-III

State-wise Details of Multi-Village Schemes and Single Village Schemes commissioned from 2009-2010 to 2016-17

Sl. No.	State	Number of Piped Water Supply schemes completed from 2009-10 to 2016-17	
		Multi-Village Scheme (MVS)	Single Village Scheme (SVS)
1	2	3	4
1.	Andaman and Nicobar	3	3
2.	Andhra Pradesh	387	30019
3.	Arunachal Pradesh	147	5581
4.	Assam	1744	3199
5.	Bihar	201	1945
6.	Chhattisgarh	192	31167
7.	Goa	0	1
8.	Gujarat	440	22223
9.	Haryana	943	4960
10.	Himachal Pradesh	2675	2451
11.	Jammu and Kashmir	1091	1567
12.	Jharkhand	283	10798
13.	Karnataka	1491	183884
14.	Kerala	132	302
15.	Madhya Pradesh	130	13650
16.	Maharashtra	1491	32175
17.	Manipur	226	1663
18.	Meghalaya	322	2583
19.	Mizoram	52	434

1	2	3	4
20.	Nagaland	28	2866
21.	Odisha	1400	14953
22.	Puducherry	3	1
23.	Punjab	604	2276
24.	Rajasthan	1819	12630
25.	Sikkim	17	1787
26.	Tamil Nadu	700	50753
27.	Telangana	328	23859
28.	Tripura	399	4651
29.	Uttar Pradesh	433	3145
30.	Uttarakhand	537	2914
31.	West Bengal	519	278
	TOTAL	18737	468718

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः माननीय सभापति जी, देश में पेयजल की और उसकी गुणवत्ता की जो स्थिति है, मेरा प्रश्न उसी से संबंधित है। देश के प्रधान मंत्री जी ने अभी इज़राइल की यात्रा की थी। उन्होंने एक देश की यात्रा केवल इसलिए नहीं की उसका कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि पेयजल के लिए जो technology इज़राइल के पास है, वह technology देश को मिल जाए। प्रधान मंत्री जी ने technology की जो मांग की है, उससे पता चलता है कि देश में पेयजल की स्थिति बहुत खराब है। मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया है, उसमें बसावट का जो जिक्र किया है उसमें कवरेज की संख्या बताई है। मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल यह है कि उसका मानक क्या है, किस आधार पर उनको पूर्व कवर माना गया है, क्या उसमें हैंड पंप की सप्लाई, वॉटर क्वालिटी, पाइपलाइन से सप्लाई आदि को मानक माना गया है? क्या माननीय मंत्री जी ये मानक बताने की कृपा करेंगे? इसके साथ ही साथ क्या माननीय मंत्री जी यह समय-सीमा बनाने का भी कष्ट करेंगे कि इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा और जो बजट एलॉट किया गया हे, जितना बजट हमें चाहिए था, क्या यह बजट उसके सापेक्ष दिया गया है या नहीं दिया गया है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने पेयजल की गुणवत्ता के बारे में

जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि देश में बसावटों की जो कुल संख्या है, वह 17 लाख, 26 हजार, 104 है।

श्री रेवती रमन सिंहः माननीय मंत्री जी, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः सभापति जी, देश में बसावटों की संख्या, 17 लाख, 26 हजार, 104 है। जो पूर्णतः कवर्ड हैं, वे 13 लाख, 26 हजार हैं, जो आंशिक रूप से कवर्ड हैं, वे 3 लाख, 25 हजार हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः वह तो पढ़ लिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नरेश जी, प्लीज़ उनको सुनिए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः जो गुणवत्ता से प्रभावित हैं, वे बसावटें लगभग 74 हजार हैं। माननीय सभापति महोदय, पूर्णतः कवर की परिभाषा यह है कि एक व्यक्ति को 40 लीटर पानी उपयोग के लिए मिल रहा है और आंशिक रूप से कवर्ड वे बसावटें हैं, जिनमें 40 लीटर से कम पानी मिल रहा है। जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः 40 लीटर कहाँ से मिल गया? यह हैंड पंप से मिला या तालाब से मिला? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नरेश जी, प्लीज़ मंत्री जी को सुनिए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः देश में 15 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनको घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पानी मिलता है। इसके अतिरिक्त 53 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनको पाइप्ड वॉटर से पानी मिल रहा है। घर में कनेक्शन नहीं है, लेकिन नल से पानी मिल रहा है। जो शेष बसावटें हैं, वे हैंड पंप, कुआँ इत्यादि जो अन्य साधन हैं, उन पर अभी भी निर्भर हैं। जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है, मैं उस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि 74 हजार बसावटें ऐसी हैं, जिनकी गुणवत्ता भिन्न-भिन्न धातुओं से प्रभावित हो रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड, ये दो विषय ऐसे हैं, जिनमें मनुष्य को बहुत ही शारीरिक नुकसान होता है। इस दृष्टि से जो allocation "ग्रामीण पेयजल योजना" के अंतर्गत राज्यों को जाता है, उसमें से 5 प्रतिशत निधि जल की गुणवत्ता के लिए आरक्षित है। राज्य सरकारें उस 5 प्रतिशत निधि का उपयोग जल गुणवत्ता सुधारने के लिए कर सकती है, लेकिन सरकार इसको भी अपर्याप्त मानती है, इसलिए पिछले दिनों मार्च, 2017, जब प्रधान मंत्री जी ने इस गुणवत्ता की समीक्षा की तो "राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन" बनाया। इसकी लागत लगभग 25 हजार करोड़ रुपये आएगी। और आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित देश में लगभग 28 हजार बसावटें हैं। इन 28 हजार बसावटों को इस

सब-मिशन के माध्यम से हम 2021 तक 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छ पानी लोगों को उपलब्ध करा पाए, यह सरकार की कोशिश है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः सभापति जी, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पानी की गुणवत्ता को लेकर है। उत्तर प्रदेश में, खास तौर से जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां से होकर काली नदी गुजरती है। जो उसके नजदीक के गांव हैं, उनमें स्थिति यह है कि वहां पानी की वजह से कैन्सर की पेशेंट्स की संख्या काफी बढ़ रही है। हर महीने एक-दो व्यक्तियों की मौत कैन्सर के कारण होती है। इन गांवों के लिए, या इस तरह के गांवों के लिए आपकी क्या योजना है, जहां नदी का पानी कैन्सर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ा रहा है? दूसरा, आपने "सांसद ग्राम योजना" का जिक्र किया। यह एक ऐसी योजना है, जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई बजट नहीं दिया जाता, लेकिन आपने अपेक्षा यह की है कि सांसद इसको एडॉप्ट कर लेंगे और वहां पानी शुद्ध हो जाएगा। मेरी आपसे यह मांग है कि जिस तरीके से राज्यों में विधायकों को अपने क्षेत्रों के लिए, जहां पर पानी खराब होता है, वहां पर हैंडपंप दिए जाते हैं, तो क्या उसी तरीके से सांसदों को भी कम से कम पांच-पांच सौ हैंडपंप देने का काम सरकार करेगी, ताकि उन क्षेत्रों में जहां पानी की क्वालिटी खराब है, उसको सुधारने में सांसद भी अपना सहयोग दे सकें?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों का जिक्र किया है। यह सच है कि जहां आर्सेनिक है, उस स्थान पर जो व्यक्ति उस दूषित पानी को पी रहा है, उसको कैन्सर तक हो सकता है। ऐसी स्थिति अनेक स्थानों पर है, जिसमें उत्तरप्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल के भी हैं, जो गंगा जी के किनारे के क्षेत्र हैं, वहां आर्सेनिक है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि गुणवत्ता की दृष्टि से, जैसा मैंने बताया, पेयजल योजना के एलोकेशन में 5 प्रतिशत पैसा तो उपलब्ध रहता ही है, लेकिन पिछली बार गुणवत्ता सुधारने के लिए नीति आयोग के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपए पूरे देश के लिए दिए गए थे। इसमें से उत्तर प्रदेश को 13.39 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई थी। इसमें 39 आर्सेनिक प्रभावित बसावटें और 143 फ्लोराइड प्रभावित बसावटें आती थीं, जिनमें लोगों को प्रति दिन कम से कम 8 से 10 लीटर स्वच्छ पेयजल, पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाए, इस पर काम करने के लिए यह राशि उनको उपलब्ध कराई गई थी। दूसरा, माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने जब पूर्व में उत्तर दिया था, तो मैंने जिक्र किया था कि आर्सेनिक और फ्लोराइड के लिए "राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन", यह मार्च, 2017 को आरंभ हुआ है और इसके माध्यम से देश भर में 25 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित जो 28 हजार बसावटें हैं, उनमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इस दृष्टि से हमारी कोशिश है और इस मिशन के लिए राज्य सरकारें अपने प्रोजेक्ट सम्मिलित करें, इसके लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत की गई है और राज्य सरकारें अपनी परियोजनाएं

केन्द्र सरकार को सबमिट करेंगी। तो इस सब-मिशन में उनको हम धन उपलब्ध कराएंगे और दूसरा पेयजल की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकारों को अपना प्रयत्न भी करना चाहिए। जैसे तेलंगाना ने पिछली बार भागीरथी मिशन के माध्यम से प्रयत्न किया और गुजरात ने भी अपना प्रयत्न किया। इसको सुधारने में केन्द्र सरकार का जो सहयोग है, वह तो केन्द्र सरकार देगी ही, लेकिन राज्य सरकार अलग से अगर कुछ एफर्ट करेगी, तो वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार मदद करेगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः सर, मैंने हैंड पंप की बात की है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please allow the next questioner.

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धेः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि देश में पेय जल की खोज में जगह-जगह पर ग्रामीण अंचलों में बोरवेल खोदे जाते हैं। बोरवेल खोदने के बाद कई बार ऐसा होता है कि उसमें से पानी नहीं निकलता है, तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है या पानी खत्म हो जाता है, तो भी बोरवेल वैसा का वैसा रहता है और उस पर कोई ढक्कन नहीं रखा जाता है। इसके कारण बोरवेल में बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं और उनको बाहर निकालना एक त्रासदी हो जाती है। इससे बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं इसके ऊपर मंत्री जी की प्रतिक्रिया चाहूँगा।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात की है और इस समस्या के ऊपर ध्यान दिलाया है, क्योंकि जब बोरवेल खोदे जाते हैं और वे सफल नहीं होते हैं, तो उनको बंद करने की व्यवस्था नहीं है। उनका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं उनके सुझाव को राज्य सरकार तक पहुँचाऊँगा। यह बहुत जरूरी है।

श्रीमती अम्बिका सोनीः सर, शायद मंत्री महोदय इसमें पंजाब को शामिल करना भूल गए, जहाँ लोगों के सामने कैंसर एक बहुत भयंकर रूप में प्रस्तुत है, क्योंकि वहाँ पानी toxic है और उसमें कई तरह के केमिकल्स हैं। मैंने उनका पूरा जवाब पढ़ा है। उसमें आपने monitoring committee का ज़िक्र किया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या monitoring committee में किसी भी प्रदेश से, especially पंजाब से, कोई ऐसी बात आई कि 2014 से लेकर 2017 तक जो भी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, वह पंजाब के जिन कंडी इलाकों में पानी नहीं मिलता है, उधर विचलित हुई है या कुछ विशेष हलकों में वितरित हुई है? मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि जो RO Systems लगाए गए हैं, उनमें

से कितने RO systems चल रहे हैं और कितने खराब पड़े हैं? क्या Corporate Social Responsibility RO systems के साथ जोड़ी जा सकती है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो जल की गुणवत्ता की चर्चा की, उसमें मैं हर राज्य का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जहां-जहां आर्सेनिक और फ्लोराइड है या जहाँ भी पानी की गुणवत्ता खराब है, वे सब राज्य इसमें शामिल हैं। इसमें पंजाब भी शामिल है। पिछले दिनों पंजाब को जल गुणवत्ता की दृष्टि से जो पैसा दिया गया, उस पैसे की monitoring राज्य द्वारा की जाती है और केन्द्र द्वारा भी की जाती है। मैडम चाहेंगी तो हम उनको तथ्यों से अवगत करा देंगे।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसमें दो points हैं। एक point तो पानी की quality का है और second point demand and supply का है। आने वाले 20 साल में पानी की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्या इसके बारे में गवर्नमेंट की कोई planning है कि आने वाले 20 साल के लिए demand and supply कैसे ठीक की जाएगी? इसमें quality का point तो है, quantity का point भी है। क्या इसके लिए कोई planning है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर बात कही है, क्योंकि हम सब लोगों के सामने पीने के पानी का संकट है। हर घर को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता भी आवश्यक है। मौसम परिवर्तन चल रहा है और बरसात की कब, क्या परिस्थिति बनती है, इसके बारे में आज कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की यह कोशिश है कि भिन्न-भिन्न माध्यमों से जल का जितना सदुपयोग किया जा सके, वह करना चाहिए। इसमें अन्य विभाग भी सम्मिलित हैं, जैसे ग्रामीण विकास विभाग मेरे पास है। इसमें हम लोगों की कोशिश यह है कि मनरेगा का 65 प्रतिशत पैसा सिर्फ जल संरक्षण पर ही खर्च हो, जिससे आने वाले कल में हम जल की चुनौती से निपट सकें। शहरी विकास और अन्य क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन इस दृष्टि से केन्द्र सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील है। हम आने वाले कल के लिए पेयजल योजना को भी रिव्यू कर रहे हैं, जिससे आने वाले कल में भी हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question No.80. ...*(Interruptions)*... I am afraid Question Hour is over. The House is adjourned till 2.00 p.m.